**AXIS BANK**

खुदरा संपत्ति केंद्रः एक्सिस बैंक लिमिटेड, के–10,द्वितीय तल, सेक्टर 18, नोएडा उ.प्र. इसके अलावाः एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी–2, दूसरी मंजिल, आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (यूपी) –201301 कॉर्पोरेट कार्यालयः 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक– बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई–400025, पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशूल', तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

## सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा–सूचना

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया। ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणीध्सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा। ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम | संपत्ति विवरण | मांग सूचना की तिथिः |
|---|---|---|
| 1. श्रीमती अनुप्रिया मिश्रा पत्नी श्री आशीष और श्री आशीष पुत्र– श्री अश्विनी कुमार वर्मा, दोनों निवासीः हाउस नंबर ई–506, आम्रपाली शफायर–1, सेक्टर–45 नोएडा, यू.पी. 201301<br>2.श्रीमती अनुप्रिया मिश्रा, डी–273, सेंट मैरी स्कूल के पास, इंद्रा नगर, लखनऊ यू.पी. 226016.<br>3. श्रीमती अनुप्रिया मिश्रा, गेटिट ग्रोसरी प्रा लिमिटेड, जिस होइट्स, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 10811, सेक्टर–125, नोएडा, यू.पी.–201301<br>4. श्री आशीष, एम–312–बी, आशियाना कॉलोनी, चिरंजीवी भारती स्कूल के पास, एलडीए कॉलोनी, लखनऊ यूपी–226012<br>5. श्री आशीष अफोर टेक्निकल सर्विसेज प्रा लिमिटेड, ए4/ए5, लिंड फ्लोर, लॉजिक्स पार्क, सेक्टर–16, उ.प्र.–201301 | टावर नंबर 04 पैविलियन की पहली मंजिल पर आवासीय आवास इकाई संख्या "पी 4–101" सेक्टर 128, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा जिले – गौतमबुद्ध नगर, यू.पी. में स्थित कोर्ट प्रोजेक्ट, जिसका सुपर एरिया 1356 वर्ग फीट (125.98 वर्ग मीटर लगभग ) है। जो निम्न के रूप में घिरा हैः पूर्व : साइट योजना के अनुसार। पश्चिमः साइट योजना के अनुसार। उत्तरः साइट योजना के अनुसार। दक्षिणः साइट योजना के अनुसार। | 25 अगस्त 2021<br>**कब्जे की तिथिः**<br>12 सितम्बर, 2022<br>**मांग नोटिस में राशि (रु.):**<br>रु. 58,19,865/– (अठ्ठावन लाख उन्नीस हजार आठ सौ पैंसठ रुपये मात्र) |

उपर्युक्त ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को एतद्द्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार, गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएंगी।

**दिनांकः 13.09.2022 स्थानः दिल्ली और एनसीआर** **अधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड**

---

**भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA**

**भारतीय स्टेट बैंक, शाखाः पिलखुआ, हापुड़**

## कब्जा सूचना

**[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]**

**जैसा कि,** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, शाखा पिलखुआ, हापुड़ के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 24.2.2022 जारी कर ऋणधारकों श्री लोकेश गोयल, पुत्र श्री प्रदीप कुमार गोयल, श्री सचिन गोयल, पुत्र श्री प्रदीप कुमार गोयल को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 16.2.2022 को रु.13,10,537.53 (रु. तेरह लाख दस हजार पाँच सौ सैंतीस एवं पैसे तिड़ेपन मात्र) के साथ 17.2.2022 तक गणना की गई ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 12 सितम्बर, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 609559.58 (खाता 38696310372)+ रु. 651458.20 (खाता–37080365464)+ रु. 514052.43 (खाता–37956820525) कुल रु. 17,75,070.21 (रु. सत्तरह लाख पचहत्तर हजार सत्तर एवं पैसे इक्कीस मात्र) ब्याज की गणना 12.9.2022 तक की गई, के लिये भारतीय स्टेट बैंक, शाखा पिलखुआ, हापुड़ के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

## अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री लोकेश गोयल एवं श्री सचिन गोयल के नाम में मोहल्ला गढ़ी कनखली, पिलखुआ, तहसील एवं जिला हापुड़ (उ.प्र.) एरिया 75 वर्ग यार्ड्स अथवा 67.73 वर्ग में स्थित आवासीय मकान सं. 207 का सभी भाग। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः 22'6''/रोड 9 फीट चौड़ा, पश्चिमः 14'/6'' रोड 14 फीट चौड़ा उत्तरः 45''/भोले का आवास, दक्षिणः नंद किशोर की 45' सम्पत्ति

**स्थानः हापुड़** **प्राधिकृत अधिकारी**
**तिथिः 12.09.2022** **भारतीय स्टेट बैंक**

---

**प्रपत्र सं. आईएनसी-26**

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

सिगनोर हाईसेक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय का "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में परिवर्तन

केंद्र सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में

एवं

सिगनोर हाईसेक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय 4457, गली निहाल सिंह पहाड़ी धीरज उत्तर पूर्व दिल्ली - 110006 में स्थित है, के मामले में

...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने की तारीख 26 अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर MCA-21 (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित के प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है या जमा कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्लिखित पते पर भी भेजेंगे:

पंजीकृत कार्यालयः 4457, गली निहाल सिंह पहाड़ी धीरज उत्तर पूर्व दिल्ली -110006

सिगनोर हाईसेक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से
हस्ता/-
अक्षय जैन
पूर्णकालिक निदेशक
DIN : 06509374

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 15 सितम्बर, 2022

---

## दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
दूरभाषः 011–25611041, 25611042, 25611043, 25611044
ईमेलः leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com, वेबसाइटः www.kangrabank.com

(परिशिष्ट–IV–ए)
(नियम 8(6) का प्रावधान देखें)
अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निम्न वर्णित अचल प्रतिभूत परिसंपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।**

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न वर्णित ऋणकर्ता, बंधककर्ता तथा जमानतदार को सूचित किया जाता है कि दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लि., प्रधान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, निकट जनक सिनेमा, नई दिल्ली–110058, प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक/रचनात्मक आधिपत्य प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसका विक्रय ''जैसी है जहां है'' ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जाएगा, जो यहां नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरणों के अनुसार ''ई–नीलामी द्वारा विक्रय'' (सरफॉएसि अधिनियम एवं नियमावली 2002 के अंतर्गत) के माध्यम से किया जाएगा:–

| क्र. सं. | क) ऋणकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार का नाम ख) शाखा का नाम | (क) मांग सूचना की तिथि (ख) आधिपत्य प्रकार/तिथि (ग) मांग राशि | संपत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य | (क) धरोहर राशि जमा (ख) बोली वृद्धि राशि (ग) निरीक्षण की तिथि एवं समय (घ) धराज एवं केवाईसी जमा की अंतिम तिथि/समय (ड.) ई–नीलामी की तिथि/समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.<br>2.<br>3. | क) श्री बीरेंद्र कुमार पुत्र श्री कमल सिंह पीपी/1/76 (52795) ऋण खाता सं.: 00088110000004, 00088160000005, 00088190000083 **(ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता)**<br>**श्री देवेंद्र सिंह** पुत्र श्री ब्रह्म पाल सिंह<br>**श्री संतोष गुप्ता** पुत्र श्री मनोज कुमार गुप्ता **(जमानतदार)**<br>पुल्पहलादपुर शाखा | (क) 24.03.2021<br>(ख) सांकेतिक आधिपत्य/ 28.01.2022<br>(ग) रु. 14,05,658/– भावी ब्याज, दांडिक ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक 31.01.2021 से समय–समय पर ऋण खाता के अंतर्गत लागू अनुसार अन्य शुल्क | आवासीय मकान नं. आर–175, कुल क्षेत्र माप 26.56 वर्ग मीटर, आवृत्त क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर जो एक कक्ष, शौचालय एवं स्नानागार से समाविष्ट है और आवासीय कॉलोनी नंदग्राम (नंद निकुंज) तहसील एवं जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित और इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– भूखंड सं. 176, पश्चिम– भूखंड सं. 174, उत्तर– सड़क 4.57 मीटर चौड़ी, दक्षिण– भूखंड सं. 194 | रु. 14,75,000/– (रुपए चौदह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) | (क) रु. 1,47,500/–<br>(ख) रु. 20,000/–<br>(ग) 17.10.2022 को 11.00 बजे से 4.00 बजे<br>(घ) 27.10.2022 को 5.30 बजे तक<br>(ड.) 29.10.2022 को 3.00 बजे से 5.00 बजे |

विस्तृत बोली/निविदा प्रपत्र, उक्त विक्रय के नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लि., प्रधान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, निकट जनक सिनेमा, नई दिल्ली–110058, प्रतिभूत ऋणदाता बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.kangrabank.com पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

नीलामी का संचालन बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लिमिटेड (आक्शन टाइगर) के माध्यम से किया जाएगा तथा विस्तृत बोली/निविदा प्रपत्र, उक्त विक्रय के नियमों एवं शर्तों तथा बोली/निविदा जमा करने की प्रक्रिया के लिए वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध विवरण देखें।

**सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के अनुसार सांविधिक सूचना**

इस सूचना को उक्त ऋण के उपरोक्त नामित ऋणकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार हेतु एक सूचना के रूप में भी विचारित किया जाए कि वे इस विक्रय की तिथि से पूर्व पूर्णरूपेण ढंग से बकाया देयराशियों का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति को उपरोक्त अंकित विक्रय/नीलामी तिथि पर बेच दिया जाएगा। यह प्रकाशन उपरोक्त नामित ऋणकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार हेतु 30 दिवसीय सूचना भी है।

हरीश शर्मा
प्राधिकृत अधिकारी
दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लि.
प्रधान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र
पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
दूरभाष सं.: 9013568418, 9013568419

दिनांकः 14.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

---

**MARKTESH TRADING LIMITED**
Regd. Office: 612, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi-110019
CIN : L51909DL2005PLC135119
E-mail : shriharshraizada@gmail.com, Tel/Fax: +91-11-26219944

**AGM NOTICE**

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Friday, September 30, 2022 at 612, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi-110019 at 2:00 P.M. to transact the businesses mentioned in the notice. Notice of the AGM and other annexure has been dispatched to all the members and other persons entitled to receive the same. The copies of aforesaid documents are available on the website and for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

Further Notice is hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 23, 2022 to September 30, 2022, (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

By order of the Board
For MARKTESH TRADING LIMITED
Sd/-
(ABHISHEK BAJORIA)
Director

Place: Delhi
Date: September 15, 2022

---

## के. वि. जेएनयू एनएमआर नई दिल्ली में खेल के मैदान विकसित करने हेतु निविदा आमंत्रण

के. वि. जेएनयू एनएमआर नई दिल्ली विद्यार्थियों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबाल, खो-खो, कबड्डी, एथलेटिक रनिंग ट्रैक, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच आदि सुविधाओं को विद्यालय भूमि पर विकसित कराने हेतु निविदाएँ आमंत्रित करता है। स्कोप ऑफ़ वर्क, शर्तो आदि की पूर्ण जानकारी हेतु इच्छुक अनुभवी फर्म विद्यालय वेबसाइट https://newmehraulirioadjnu.kvs.ac.in/ के टेंडर / अनाउंसमेंट सेक्शन का अवलोकन करे। प्राचार्य

---

## PUBLIC NOTICE

**Jubilant Software Services Private Limited**
Regd. Office: E-4, Defence Colony,
New Delhi-110024
CIN:U72200DL2005PTC136406

This is to inform that M/s Jubilant Software Services Pvt. Ltd, having its registered office at E-4, Defence Colony, New Delhi-110024, in respect of Group Housing Colony in the revenue estate of village Mewka, Sector - 91, Gurugram, Haryana, was granted license number 71 of 2008 over an area measuring 15.575 acres.In terms of Memo No. ZP-406/SD(DK)/2021/31343 dated 13.12.2021 of Chief Town Planner, Haryana-cum Chairman, Building Plan Approval Committee, Chandigarh, Haryana the Company informs all existing allottees about the amendment in the Site Plan in respect of 33 KV Switching Station at its premises. Existing allottess may within 30 days of this public notice file objections if any in the office of Senior Town Planner, Gurugram.

For Jubilant Software Services Private Limited
Sd/-
Director

---

## गुमशुदा/अपहृत की तलाश

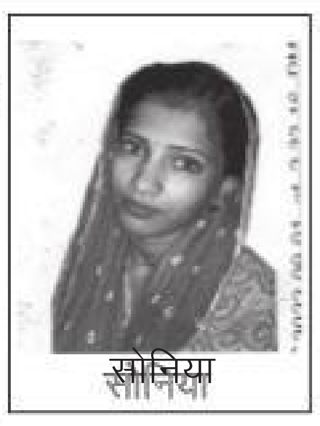

सोनिया

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला जिसका नाम सोनिया पत्नी प्रवीन कुमार निवासी मकान न: 90, गली न 05 गंगा विहार, दिल्ली जो 01 सितम्बर से अपने घर से लापता/अपहृत है। इस बाबत **DD No. 92A** दिनांक 01.09.2022 थाना नन्द नगरी, दिल्ली में दर्ज है। इस महिला का शारीरिक ब्यौरा इस प्रकार है।

उम्र- 30 वर्ष, रंग- गोरा, कद- 5'4", चेहरा- लम्बा, शरीर – माध्यम, पहनावा- बैंगनी रंग का सूट सलवार और काले रंग की चप्पल पहने है। स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी व्यक्ति को इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिले तो थाना नन्द नगरी, दिल्ली में निम्नलिखित ई-मेल: cic/cbi.gov.in और वेबसाइट http://cbi.nic.in पर सूचित करे।

**फान : 011-24368638, 24368641**
**फैक्स नं.: 011-24368639**
**DP/869/NE2022**

हस्ता/- थानाध्यक्ष
थाना : नन्द नगरी, दिल्ली
फोन : **011 – 27280435,8368164288**

---

## गुमशुदा/अपहृत व्यक्ति की तलाश

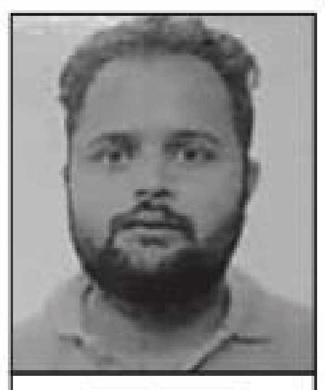

पवन यादव

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति (फोटो में दिखाया गया) जिसका नाम पवन यादव **S/o** महेन्द्र सिंह **R/o** 118, एक्सटेंशन-2, नांगलोई, दिल्ली **उम्र** 27 साल जो कि 12.09.2022 को शाम 4 बजे से अपने घर से लापता/अपहृत है। इस बाबत **DD No.0119A दिनांक 13.09.2022** थाना नांगलोई, दिल्ली में दर्ज है। इसका शारीरिक ब्यौरा इस प्रकार है:

**रंग:** गोरा, **कद:** 5'9", **चेहरा:** गोल, **शरीर:** मध्यम, जिसने पीले रंग की टी-शर्ट, नीले रंग की जींस और चप्पल पहनी है।

अगर किसी व्यक्ति को इस लापता/अपहृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी/सूचना मिले तो थानाध्यक्ष नांगलोई, दिल्ली को ई-मेल: **cic@cbi.gov.in** और वेबसाइट : **http://cbi.nic.in** पर सूचित करने की कृपा करें।

हस्ता/–
थानाध्यक्षः नांगलाई, दिल्ली
फोनः 011-25947225, 25949470
मो.: 7065036127

फोन नं.: 011-24368638, 24368641
फैक्स नं.: 011-24368639
दि.पु./935/बाहरी जिला/2022

---

**यूनियन बैंक Union Bank of India**

संपत्ति वसूली शाखा
26/28–डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
(एम–35, प्रथम तल, आउटर सर्कल ,कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में कार्यरत)
ईमेल आईडी– UBIN0554723@unionbankofindia.bank

## कब्जा–सूचना {प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का नियम 8(1) के तहत } (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अधोहस्ताक्षरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, संपत्ति वसूली शाखा, 26/28–डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 ( वर्तमान में एम–35, प्रथम तल, आउटर सर्कल ,कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में कार्यरत) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर संदर्भः यूबीआई/पीबीई/एडीवी/2020–21/440 दिनांक 9 अप्रैल 2021 को मांग नोटिस जारी कर ऋणी श्री अमित जैकब सिंह और श्रीमती शबनम सिंह, गारंटरः– श्री सुरेंद्र कुमार को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 28,64,947.41 (अट्ठाईस लाख चौंसठ हजार नौ सौ सैंतालीस रुपये और इकतालीस पैसे मात्र ), साथ में भविष्य के ब्याज, लागत और आकस्मिक खर्चो को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा है।

उधारकर्ता ने राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता/ गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति पर 13 सितम्बर, 2022 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/ गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन करने पर ऊपर उल्लिखित राशि के लिएयूनियन बैंक ऑफ इंडिया, संपत्ति वसूली शाखा के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है ।

### अचल संपत्ति का विवरण

पॉकेट–12, सेक्टर–20 ,आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली–110086 में स्थित उक्त संपत्ति की भूमि के आनुपातिक स्वामित्व अधिकारों के साथ बिना छत अधिकार के फ्रीहोल्ड आवासीय निर्मित सम्पूर्ण भूतल , संपत्ति संख्या 67 का हिस्सा, 48 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल। श्री अमित जैकब सिंह और श्रीमती शबनम सिंह के नाम पर संपत्ति। चौहद्दी – पूर्वः प्रवेश / सड़क, पश्चिमः सर्विस लेन, उत्तरः हाउस नंबर 66, दक्षिणः हाउस नंबर 68,

**दिनांकः 13.09.2022 स्थान : नई दिल्ली** **अधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

---

**यूनियन बैंक Union Bank of India**

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
क्षेत्रीय कार्यालयः प्रथम तल, जीआईसी के सम्मुख, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ–250001
प्रधान कार्यालयः 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400 021

## [नियम–8(1)]
## आधिपत्य सूचना

जबकि,

**अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लिंक रोड सहारनपुर** । के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 का अध्या. 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 23.03.2022 श्री पुनीत सचदेवा (उधारकर्ता) तथा श्री राजीव जैन पुत्र ऋषभ जैन (गारंटर) (30.04.2021 को एनपीए के रूप में) को निर्गत की थी, जिसमें उन्हें सूचनाओं में अंकित राशि रु. 6,62,772.86 (रुपये छह लाख बासठ हजार सात सौ बहत्तर एवं छियासी पैसे मात्र) और राशि पर ब्याज, अन्य शुल्कों का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत, उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 13 सितंबर 2022 को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं/गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, 12.09.2022 के अनुसार रु. 6,22,020.96 (रुपये छह लाख बाईस हजार बीस एवं छियानबे पैसे मात्र) की एक राशि तथा समस्त खातों के अंतर्गत इस राशि पर 30.04.2021 से ब्याज, अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लिंक रोड, सहारनपुर के प्रभाराधीन होगा।

आपका ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आमंत्रित किया जाता है।

**अचल संपत्तियों का विवरण**
संपत्ति – मकान भूखंड सं. 199 डारा अबादी पंजाबी बाग, सहारनपुर
श्रीमती वंदना सचदेवा (पत्नी) के नाम वाले आवासीय मकान का ईएम
साम्यापूर्ण बंधक विलेख सं. 3483 दिनांक 24.05.2011

**दिनांकः 13.09.2022, स्थानः सहारनपुर** **प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

---

## दी कांगड़ा सहकारी बैंक लिमिटेड

सी-29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनक पुरी, नई दिल्ली - 110058,
फोनः 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044
ई-मेलः leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com, वेबसाइटः www.kangrabank.com

[परिशिष्ट II-A]
[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत नीचे उल्लिखित अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।**

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से नीचे उल्लिखित कर्जदार, बंधककर्ता तथा आश्वस्ति को नोटिस दिया जाता है कि दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुख्य कार्यालय : सी-29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक/रचनात्मक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार ''जहां है जैसे है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ई-नीलामी द्वारा बिक्री (सरफेसी अधिनियम और नियम, 2002 के तहत) के तहत पर बेची जाएगी:

| क्र. सं. | (क) कर्जदार, बंधककर्ता तथा आश्वस्ति का नाम (ख) शाखा नाम | (क) मांग सूचना की तिथि (ख) कब्जा का प्रकार/तिथि (ग) मांग राशि | सम्पत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य | (क) जमा धरोहर राशि (ख) संविदा वृद्धि राशि (ग) निरीक्षण की तिथि एवं समय (घ) ईएमडी तथा केवाईसी जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय (ङ) ई-नीलामी की तिथि/समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.<br>2.<br>3. | (क) श्रीमती आशा रानी पत्नी स्वर्गीय श्री रोशन लाल आरएन/18/549 (45361) ऋण खाता सं. 00048090000749, 00048160000061 (कर्जदार, जमानतदार और बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी)<br>श्री अमन पुत्र स्वर्गीय श्री रोशन लाल<br>श्री रोहन पुत्र स्वर्गीय श्री रोशन लाल (कर्जदार के कानूनी वारिस)<br>(ख) रोहिणी शाखा | (क) 11-01-2022<br>(ख) सांकेतिक कब्जा/ 07-07-2022.<br>(ग) रु. 35,36,439/- तथा 04.01.2022 से भुगतान की तिथि तक समय-समय पर ऋण खाते में प्रयोज्य भावी ब्याज, दण्डात्मक ब्याज एवं प्रभारों सहित। | प्लॉट नंबर 109, (भूमि माप 100, वर्ग गज) और प्लॉट नंबर 110, (भूमि मापने 50 वर्ग गज) ब्लॉक-ए -1, कुल भूमि माप 150 वर्ग गज, खसरा नंबर 28/3 में से, गांव कंझावाला के क्षेत्र में स्थित, और आबादी महावीर विहार, दिल्ली - 110081, सीमाएं : उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः रोड 15 फीट, पूर्वः आरपीएडी 20 फीट, पश्चिमः दूसरे का प्लॉट | रुपये बयालीस लाख मात्र (रु. 42,00,000/-)<br>(रुपये सात लाख बीस हजार मात्र) | (क) रु. 4,20,000/-<br>(ख) रु. 20,000/-<br>(ग) 15-10-2022 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप..<br>(घ) 26-10-2022 5.30 बजे अप. तक<br>(ङ) 28-10-2022, 3:00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. |

विस्तृत बोली/निविदा फॉर्म, उक्त बिक्री के नियम और शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर बैंक दी कांगड़ा सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय : सी29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, जनक सिनेमा के पास, नई दिल्ली-110058 की वेबसाइट अर्थात www.kangrabank.com देखें।

यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, और विस्तृत बोली/निविदा फॉर्म, उक्त बिक्री के नियम और शर्तों और बोली/निविदा जमा करने की प्रक्रिया के लिए, उनकी वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं।

**सरफैसी अधिनियम, 2022 के नियम 8(6) तथा नियम 9(1) के अनुसार सांविधिक सूचना**

इस नोटिस को इस बिक्री सूचना के समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से पूर्व पूरी तरह से बकाया भुगतान करने के लिए उक्त नामित कर्जदार तथा आश्वस्ति को नोटिस के रूप में भी माना जाए, ऐसा न करने पर संपत्ति को उपरोक्त बिक्री/नीलामी तिथि पर बेचा जाएगा। यह प्रकाशन उपरोक्त नामित कर्जदार और आश्वस्ति को 30 दिन का नोटिस भी है।

हरीश शर्मा
अधिकृत प्राधिकारी
दी कांगड़ा सहकारी बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय : सी -29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड,
जनकपुरी, नई दिल्ली में
फोन नं. 9013568418, 9013568419

दिनांकः 14-09-2022
स्थानः दिल्ली

---

**पंजाब नैशनल बैंक** ......भरोसे का प्रतीक **pnb** **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

**सस्त्र सर्किल नोएडा, गामा सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा**

## समान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक से अधिक ऋणधारकों की अचल सम्पत्तियों के लिये सामूहिक कब्जा सूचना

**जैसा कि,** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना की तिथि/सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 13 सितम्बर, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

| क्रम सं. | शाखा का नाम | खाता का नाम | ऋणधारक (सम्पत्ति के स्वामी) का नाम | गिरवी सम्पत्ति का विवरण | मांग सूचना तिथि | संलग्न कब्जा सूचना की तिथि | मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि | प्राधिकृत अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रोजा याकूब पुर | राजवीर सिंह एवं सीया | राजवीर सिंह एवं सीया | आवीय प्लॉट नं. 8ए, ब्लॉक एम, सेक. 66, मामुरा, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र. 201301 | 20.9.2021 | 13.9.2022 | रु. 2247533/– | श्री दर्शन लाल भल्ला |

ऋणधारक/मार्टगैजर/गारंटर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

तिथिः 13.9.2022 , स्थानः गामा–1, ग्रेटर नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

---

**पंजाब नैशनल बैंक** ......भरोसे का प्रतीक **pnb** **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

**सर्कल सस्त्र केंद्र, सर्कल कार्यालय बुलंदशहर, ईमेलः cs8212@pnb.co.in, दूरभाष सं.: 8171640088**

## आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न तालिका में वर्णितानुसार मांग सूचना/एं निर्गत की थी/थीं, जिनमें संबंधित ऋणकर्ता/ओं को तालिका में अंकितानुसार बकाया राशि का, सूचना(ओं) की तिथि/उक्त सूचना(ओं) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋणकर्ता/ओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा पूर्णतः भुगतान होने तक अन्य व्ययों हेतु पंजाब नैशनल बैंक के प्रभाराधीन हेगा।

**अचल संपत्तियों का विवरणः**

| क्र. सं. | शाखा का नाम | खाता का नाम | बंधककृत संपत्ति का विवरण | मांग सूचना की तिथि | चिपकाई गई आधिपत्य सूचना की तिथि | मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | खुर्जा मेन, बुलंदशहर | मैसर्स शबाना पोल्ट्री फॉर्म, स्वामिनी शबाना बेगम खाता 0267008700008639 एवं 026700SA00000018 | खसरा सं. 100 पर अकृषि भूमि, जिसका क्षेत्रफल 1.3190 हेक्टेयर 13190 वर्ग मीटर के समान, जो ग्राम बोरोली, तहसील खुर्जा, जनपद बुलंदशह, उत्तर प्रदेश 203131 में स्थित हैं और हाजी मोहम्मद रफीक पुत्र हाजी अब्दुल रहीम उर्फ मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रहीम और अब्दुल कदीर उर्फ मोहम्मद कदीर पुत्र अब्दुल रहीम और मोहम्मद कदीम पुत्र अब्दुल रहीम के नाम पर और इस प्रकार बटेड एवं बाउंडेड (परिसीमित) हैः पूर्व– ग्राम बोरोली की लिंक रोड, पश्चिम– ग्राम चांदपुर को जान. `वाली सड़क, उत्तर– गाटा नं. 138, दक्षिण– चक रोड 'संपत्ति के विवरण नामाधिकार विलेख के अनुसार हैं | 23.05.2022 | 13.09.2022 | रु. 1,22,85,579.00 (रुपये एक करोड़ बाईस लाख पिचासी हजार पांच सौ उन्यासी मात्र). दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी ब्याज. अन्य लागत एवं व्यय |

**दिनांकः 13.09.2022,**
**स्थानः बुलंदशहर**

**प्राधिकृत अधिकारी, कृते पंजाब नैशनल बैंक,**
**सर्कल सस्त्र प्रधान (मुख्य प्रबंधक)**

---

## दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

सी–29, कम्युनिटी सेन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058
फोन : 011–25611041, 25611042, 25611043, 25611044
ई–मेलः leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com वेबसाईटः www.kangrabank.com

[परिशिष्ट II-A]
[नियम 6(2) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत नीचे उल्लिखित अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से नीचे उल्लिखित कर्जदार, बंधककर्ता तथा आश्वस्ति को नोटिस दिया जाता है कि दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुख्य कार्यालय : सी–29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक/रचनात्मक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार ''जहां है जैसे है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ई–नीलामी द्वारा बिक्री (सरफेसी अधिनियम और नियम, 2002 के तहत) के तहत पर बेची जाएगी:

| क्र. सं. | (क) कर्जदार, बंधककर्ता तथा आश्वस्ति का नाम (ख) शाखा नाम | (क) मांग सूचना की तिथि (ख) कब्जा का प्रकार/तिथि (ग) मांग राशि | सम्पत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य | (क) जमा धरोहर राशि (ख) संविदा वृद्धि राशि (ग) निरीक्षण की तिथि एवं समय (घ) ईएमडी तथा केवाईसी जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय (ङ) ई–नीलामी की तिथि/समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (क) श्री राज कुमार पुत्र श्री नारायण दास GP/17/927 (53929) ऋण खाता सं. 00058110006385 (कर्जदार और बंधककर्ता) (ख) गोविन्दपुरी शाखा | (क) 11-10-2022<br>(ख) सांकेतिक कब्जा/27-08-2021.<br>(ग) रु. 19,83,327/- तथा 30.09.2017 से भुगतान की तिथि तक समय-समय पर ऋण खाते में प्रयोज्य भावी ब्याज, दण्डात्मक ब्याज एवं प्रभारों सहित। | **पूरी पहली मंजिल दो बेडरूम से जुड़ा बाथरूम, एक रसोई, एक ड्राइंग रूम, एक स्टोर रूम, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (83.62 वर्ग मीटर), 602-डी/7 पर स्थित, वार्ड नं. 3, महरौली, खसरा नं. 1151/3 मिन, गांव महरौली तहसील हौज खास के लाल डोरा की आबादी में स्थित, नई दिल्ली-110030, (संपूर्ण परिसर यानी 100 गज 3 मंजिल में से)।** | रुपये बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र (रु. 32,40,000/-)<br>(रुपये सात लाख बीस हजार मात्र) | (क) रु. 3,24,000/-<br>(ख) रु. 20,000/-<br>(ग) 14-10-2022 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप..<br>(घ) 25-10-2022 5.30 बजे अप. तक<br>(ङ) 27-10-2022, 3:00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. |

विस्तृत बोली/निविदा फॉर्म, उक्त बिक्री के नियम और शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर बैंक दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय : सी29, कम्युनिटी सेन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी, जनक सिनेमा के पास, नई दिल्ली–110058 की वेबसाइट अर्थात www.kangrabank.com देखें।

यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, और विस्तृत बोली/निविदा फॉर्म, उक्त बिक्री के नियम और शर्तों और बोली/निविदा जमा करने की प्रक्रिया के लिए, उनकी वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं।

**सरफैसी अधिनियम, 2022 के नियम 8(6) तथा नियम 9(1) के अनुसार सांविधिक सूचना**

इस नोटिस को इस बिक्री सूचना के समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से पूर्व पूरी तरह से बकाया भुगतान करने के लिए उक्त नामित कर्जदार तथा आश्वस्ति को नोटिस के रूप में भी माना जाए, ऐसा न करने पर संपत्ति को उपरोक्त बिक्री/नीलामी तिथि पर बेचा जाएगा। यह प्रकाशन उपरोक्त नामित कर्जदार और आश्वस्ति को 30 दिन का नोटिस भी है।

मीनाक्षी वत्स
अधिकृत प्राधिकारी
दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय : सी–29, कम्युनिटी सेन्टर, पंखा रोड,
जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
फोन नं. 9013568418, 9013568419

दिनांकः 14–09–2022
स्थानः दिल्ली

---

varthana

## वर्थाना फाइनांस प्राईवेट लि.

(पूर्व में मै. थिरूमेनी फाइनांस प्राइवेट लि. विदित)

**पंजीकृत कार्यालयः नं. 5 बीसी–110, वारासिद्धी, 3रा तल आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंग्लोर–560043, वेबसाइटः www.varthana.com ई–मेलः care@varthana.com फोनः 080–68455777**
**शाखा कार्यालयः नं. 1162 एवं 1163, टावर बी–1, 11वां तल, स्पेज/टेक पार्क, सेक्टर–49, सोहना रोड, गुरुग्राम–122018**

### मांग सूचना

प्रतिभूति हित प्रवर्तन तथा ऋणो की वसूली कानूनों तथा विविध प्रावधान (संशो.) अधिनियम, 2016 (2016 के 44) द्वारा संशोधित तथा पुनः प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2018 द्वारा संशोधित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2)के अंतर्गत सूचना

हम, मै. वर्थाना फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड (यहां के बाद 'कम्पनी' वर्णित तथा पूर्व में मै. थिरूमेनी फाइनांस प्रा.लि. विदित) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित तथा भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक गैर बैंकिंग कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय उपरोक्त पते पर बैंग्लोर में स्थित है तथा गुड़गांव में उसकी शाखाएं हैं (यहां के बाद 'शाखा' वर्णित) एतद्द्वारा विशिष्ट बकाये की वसूली के लिये आवेदक/सह–आवेदक तथा मार्टगैजर के रूप में आपको सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्न सूचना जारी कर रहा है। मांग सूचना 1.8.2022 को जारी की गई जिसके विषय वस्तु को सूचना की सर्विस के लिये आवेदक तथा सह–आवेदक सं. 1 से 5 को वैकल्पिक सेवा के द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है क्योंकि उक्त सूचना दिये गये पते पर सर्व नही की जा सकी।

अपने स्कूल के लिये साख सुविधा के लिये हमारी गुड़गांव शाखा में सम्पर्क किया एवं तदनुसार आवेदन किया। कम्पनी ने आपके अनुरोध पर विचार कर उसे स्वीकृत किया जिसका विवरण इस प्रकार हैः

**ऋण खाता सं.: S19GUR-GUR-008164, U21GUR-GUR-017159, U20GUR-GUR-014932 तथा U22GUR-GUR-019540 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 55,28,521/–, रु. 7,77,002/– रु. 600000/– तथा रु. 546130/–25.7.2022 को कुल देयताः रु. 8710353/–(अनुबंधित दर पर ब्याज के साथ), आवेदक सह–आवेदक एवं मार्टगैजर्स का नाम एवं पताः 1) मै. आर्दश सी.सैक. स्कूल, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता, 2) मै. आर्दश शिक्षा समिति, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता नं. 1 एवं 2 का कार्यालय : ग्राम एवं पोस्ट लुहारी, तहसील झज्जर, हरियाणा–124108, 3) पितांबर सिंह, पुत्र मेघा सिंह, 4) सीमा, पत्नी पितामबर सिंह, नं. 3 एवं 4 निवासी : ग्राम एवं पोस्ट लुहारी (250), तहसील : झज्जर, हरियाणा 124108, 5) नीलम देवी,एस/ओ किशन सिंह, बिसहदा, गौतमबुद्ध नगर, बिसरा, उत्तर प्रदेश–201008**

आप सं.1–5 आवेदक/सह–आवेदक/ मार्टगैजर ने बकाये के पुनर्भुगतान तथा उक्त ऋण अनुबंध के अंतर्गत देय राशि को प्रतिभूत करने के लिये कम्पनी के पक्ष में आवश्यक ऋध दस्तावेजों को निष्पदित किये हैं।

प्रबंधक/संग्रहण प्रबंधक तथा कम्पनी के अन्य अधिकारियों बार–बार आप सभी को बकाया राशि के पुनर्भुगतान तथा यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया कि आप यह सुनिश्चित करें कि यह खाता गैर–प्रचालन सम्पत्ति नही बने, लेकिन आप जानबूझकर भुगतान में विफल रहे तथा समय–समय पर की गई अनुरोधों की अनदेखी की , फलतः उपरोक्त ऋण 9.7.2022 को गैर–प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

प्रंबधक द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के आधार पर नीचे वर्णित प्रतिभूति पर कम्पनी के पक्ष में प्रभार निर्मित किया गया। कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम वर्णित) की धारा 13 की उप–धारा (13) के अंतर्गत आप सभी को सूचित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप कम्पनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नीचे वर्णित सम्पत्ति का बिक्री, पट्टा द्वाारा अंतरण नही करेंगे अथवा थर्ड पार्टी हित का निर्माण नही करेंगे । आवेदक/सह–आवेदक तथा मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8)के प्रति आकृष्ट की जाती है।

उपरोक्त के आलोक में कम्पनी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत सूचना जारी कर आप सभी को निर्देश देता है कि सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा अन्य चार्जेज के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर 26.7.2022 से ब्याज के साथ 25.7.2022 को रु. 87,10,353/– (रु. सतासी लाख दस हजार तीन सौ तिड़ेपन मात्र) की राशि का भुगतान करें अन्यथा कम्पनी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) में परिकल्पित सभी कार्रवाई करने सहित सम्पत्ति को एटैच, बिक्री करने एवं/अथवा सक्षम न्यायालय/ प्राधिकरण के समक्ष आप सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

यदि इस सूचना के प्रत्युत्तर में आप को कोई प्रतिनिधित्व करना हो तो कृपया उसे प्राधिकृत अधिकारी, मै. वर्थाना फाइनांस प्रा. लि., नं. 5 बी सी–110, ''वारासिद्धी'', 3रा तल, आउटर रिंग रोड सर्विस रोड, एचआरबीआर ले आउट 3रा ब्लॉक, कल्याण नगर, बैंग्लोर–560043 को मार्क करें ताकि हम समय पर प्रत्युत्तर देने में सक्षम हो सकें। कृपया ध्यान रहे कि यदि वह किसी अन्य व्यक्ति या स्थान के पते पर संबोधित की जाती है तो हम इस सूचना के प्रत्युत्तर में दिये गये किसी भी प्रत्युत्तर का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

**अचल सम्पत्तियों का विवरणः अनुसूची 'क' सम्पत्तिः** ग्राम लोहरी, तहसील एवं जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित सम्पत्ति एरिया माप 4 कनाल 0 मरले, खेवत नं. 109, खाता नं. 130, किला 118/16/22 (1–15), 17/1/1 (3–18) अर्थात 5 कनाल 13 मरले तथा खेवत नं. 112, खाता नं. 133, किला नं. 118,17/2 (4–0), 18 (8–0), 12 कनाल 0 मरले का शेयर 4 कनाल 0 मरले अर्थात कुल एरिया 17 कनाल 13 मरले का 80/353 शेयर का सभी भाग तथा हिस्सा' चौहदीः पूर्वः : सीता राम का मकान पश्चिमः गली तथा कृष्णा का मकान उत्तर : गली तथा राजू का मकान, दक्षिण : कंवर की कृषि भूमि, **अनुसूची ख की सम्पत्ति** : सम्पत्ति एरिया माप 2 कनाल 18 मरले अर्थात 11/8422 कनाल का शेयर, खेवत नं. 92, खाता नं. 113, मुस्ततिल नं. 118, किला नं. 22/2(5–6), 23 /2 (7–11), 24/2 (7–15), 25/2 (1–18) में शामिल, ग्राम लोहरी, तहसील एवं जिला झज्जर हरियाणा में स्थित का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दीः पूर्वः सीता राम का मकान, पश्चिमः गली तथा कृष्ण का मकान उत्तरः गली तथा राजू का मकान, दक्षिणः कंवर की कृषि भूमि

**तिथिः 16.9.2022, स्थान : गुड़गांव** **प्राधिकृत अधिकारी, वर्थाना फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड**